दिनांक – 27.01.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे श्री उपेन्द्र कुमार, विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षा हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति –

1. श्री रवीन्द्र कुमार	–	संयुक्त सचिव
2. श्री अमित रंजन	–	अवर सचिव
3. श्री यशवंत कुमार	–	प्रशाखा पदाधिकारी
4. श्री शशि रंजन कुमार	–	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

सर्वप्रथम मुख्य निगरानी पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निगरानी संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मुख्य निगरानी पदाधिकारी द्वारा निम्नवत् निदेश दिये गये :–

- निगरानी विभाग, बिहार, पटना के Vigilance Compliance Online Portal से प्राप्त परिवादों पर संबंधित प्रशाखा द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से मुख्य निगरानी पदाधिकारी को अवगत कराया गया। उक्त के क्रम में मुख्य निगरानी पदाधिकारी द्वारा निगरानी विभाग से उक्त पोर्टल पर प्राप्त परिवादों/पत्रों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) निगरानी विभाग के web portal पर अपलोड करने हेतु सभी संबंधित प्रशाखाओं को निदेशित किया जाए।
- आपूर्ति सेवा के कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश संबंधी कोई भी मामले सम्प्रति विभाग में लंबित/प्रक्रियाधीन नहीं है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि भविष्य में इस तरह के मामले विभाग में प्राप्त होते ही इस पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- निगरानी विभाग से विभाग को प्राप्त वैसे मामले जिसमें जिला के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, उन मामलों में नियमानुसार जाँच करते हुए तत्संबंधी कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को स्मारित करने की कार्रवाई की जाए।
- विभाग के अधीन संचालित जन वितरण प्रणाली दुकानों द्वारा पात्र लाभुकों को अनुदानित खाद्यान्न के वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से PDS PARAKH APP के माध्यम से की गई निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन भी निगरानी विभाग को प्रेषित की जाए।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(उपेन्द्र कुमार)
मुख्य निगरानी पदाधिकारी–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(विविध)–07/2023– 466 खाद्य, पटना/दिनांक– 28/01/2026

प्रतिलिपि–अपर सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी अवर सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D/2025/Proceeding Nigrani.doc